संख्या-524/2017/316/22-2-2017-17(215)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2017***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पंचम मल्लाह पुत्र श्री सुखलाल, निवासी जनपद-मिर्जापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016 (एम 17.11.2016) दिनांक-16.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 16.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी पंचम मल्लाह पुत्र श्री सुखलाल, ग्राम-निफरा, थाना-विन्ध्याचल, जनपद-मिर्जापुर का निवासी है। बन्दी ने बालू के ठेके के विवाद में दिनांक 30.07.1995 को समय 09.30 बजे 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर टंगारी, चाकू व कट्टा से राम कुमार व राम नरायन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-20/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 201 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 09.02.1999 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2000 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.03.2016 तक 17 वर्ष 03 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 04 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर ने बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने में सक्षम होने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा गया है कि बन्दी ने बालू के ठेके के विवाद में दिनांक 30.07.1995 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर टंगारी, चाकू व कट्टा से राम कुमार व राम नरायन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-48 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पंचम मल्लाह पुत्र श्री सुखलाल, निवासी जनपद-मिर्जापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी पंचम मल्लाह (बन्दी संख्या-14589) पुत्र श्री सुखलाल, निवासी जनपद-मिर्जापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-524/2017/316(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-524/2017/316@22-2-2017-17(215)/2017

दिनांक 06 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध पंचम मल्लाह (बन्दी संख्या-14589) पुत्र श्री सुखलाल, ग्राम-निफरा, थाना-विन्ध्याचल, जनपद-मिर्जापुर का निवासी है। बन्दी ने बालू के ठेके के विवाद में दिनांक 30.07.1995 को समय 09.30 बजे 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर टंगारी, चाकू व कट्टा से राम कुमार व राम नरायन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-20/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 201 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 09.02.1999 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2000 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.03.2016 तक 17 वर्ष 03 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 04 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर ने बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने में सक्षम होने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा गया है कि बन्दी ने बालू के ठेके के विवाद में दिनांक 30.07.1995 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर टंगारी, चाकू व कट्टा से राम कुमार व राम नरायन नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-48 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पंचम मल्लाह पुत्र श्री सुखलाल, निवासी जनपद-मिर्जापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in